



2026:AHC-LKO:4629-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 503 सन 2026

मेसर्स लोहा ब्रिक फील्ड पुराना नाम हाजी जलील अहमद ईट
भट्टा द्वारा प्रोप्राइटर श्री निज़ामुद्दीन

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं
एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अजय सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	अशोक कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. सुनवाई हुई।
2. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता, अर्थात् मेसर्स लोहा ब्रिक फील्ड पुराना नाम हाजी जलील अहमद ईट भट्टा निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

“ [I] परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष दिनांक 03.01.2026 को दायर किए गए आवेदन के अनुसरण में, जैसा कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 में निहित है, न्याय के हित में, तत्काल प्रभाव से सहमति आदेश जारी करने का आदेश दिया जाए।

[II] परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादी संख्या 2 को उसके समक्ष लंबित आवेदन संख्या 35160116 पर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश, न्याय के हित में, जारी किया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

[III] मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में ऐसा कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करे, जिसे वह उचित और उपयुक्त समझे।

[IV] रिट याचिका को व्यय सहित अनुमति दी जाए। ”

3. जैसा कि दावा किया गया है, याचिकाकर्ता को पहले ऐसा सहमति आदेश दिया गया था जो वर्ष 2020 में समाप्त हो गया था। अब एक नया आवेदन दायर किया गया है। हालांकि, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उसी ईट भट्टे के लिए, सहमति आदेश पहले ही 22.05.2025 को मेसर्स गोल्डन ईट भट्टा पुराना नाम हाजी जलील अहमद ईट भट्टा के नाम पर जारी किया जा चुका है। उन्होंने मेसर्स गोल्डन ईट भट्टा के पक्ष में दिनांक 22.05.2025 का सहमति आदेश हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सहमति आदेश की प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को भी दी गई है।

4. यह मामला तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित है। हम आगे कार्यवाही नहीं कर सकते। यदि याचिकाकर्ता के पास कोई कारण है और यदि वह पीड़ित है, तो वह कानून में निर्धारित उपायों का लाभ उठा सकता है।

5. तदनुसार, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

जनवरी 21, 2026

शान्/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।